



सं.अ.सं.वि./क्रमांक/२३१/२०२१

दिनांक 23-07-2021

परिपत्र

प्रति,

संचालक,

समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाएं,

विषय: रेग्यूलेशन-18/2008 के नियमों का कड़ाई से पालन करने संबंधी निर्देश।

यह देखने में आ रहा है कि अनेक संबद्ध अध्ययन संस्थाएं अपने विज्ञापन होर्डिंग्स, पैम्पलेट और संस्था की मुख्य नाम पट्टिकाओं में विश्वविद्यालय का नाम बड़े अक्षरों (फॉन्ट्स) का उपयोग कर विद्यार्थियों को भ्रमित कर रहे हैं। इन भ्रामक विज्ञापनों से विद्यार्थियों को ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि जैसे संबद्ध अध्ययन संस्था के बजाय सीधे विश्वविद्यालय परिसर में ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा हो। इस संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. संस्था को जिन पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्राप्त है केवल उन्हीं के लिए विज्ञापन में उल्लेख किया जाए।
2. संस्था द्वारा अपने विज्ञापन एवं नाम पट्टिका पर पूर्ण पते का उल्लेख (जैसे-प्लॉट नं., मकान नं., क्षेत्र का नाम, पिनकोड) आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।
(देखें रेग्यूलेशन-18/2008 की कंडिका 4.1 से 4.5 तक)


रेग्यूलेशन-18/2008 में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क लेने की न्यूनतम व अधिकतम सीमा निर्धारित है। इस शिक्षण शुल्क में नामांकन शुल्क, परीक्षा शुल्क व ट्यूशन फीस शेरर मिलाकर जो शुल्क राशि आती है, उसी के अनुसार छात्रों से शुल्क लिया जाना चाहिए और पक्की रसीद भी जारी की जाना चाहिए।


अतः समस्त संबद्ध अध्ययन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि अपनी संस्था का प्रचार करते समय रेग्यूलेशन-18/2008 के मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। यदि इस विषय में भविष्य में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो साक्ष्य पाए जाने पर दोषी संस्था/संस्थाओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

पृ. क्र. सं.अ.सं.वि./क्रमांक/२३१/२०२१

भोपाल, दिनांक 23-07-2021

✓ प्रतिलिपि :- प्रभारी, वेबमास्टर, मा.च.रा.प.एवं सं.वि.वि.,भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।


डॉ. मनीष माहेश्वरी
(निदेशक, ए.एस.आई.)


डॉ. मनीष माहेश्वरी
(निदेशक, ए.एस.आई.)